IV. 2995

VIKASH NAGAR
ADVOCATE
TEHSIL DADRI (G.B. NAGAR)

30 SEP 2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA ICIAL

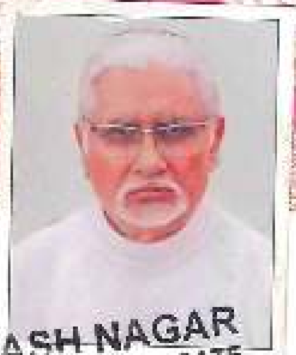

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 048280

VIKASH NAGAR
ADVOCATE
TEHSIL DADRI (G.B. NAGAR)

ट्रस्ट का घोषणा पत्र

स्टाम्प– 750 / रु0

इस ट्रस्ट की घोषणा श्री बलेराम सिहं पुत्र श्री हरज्ञान सिंह निवासी ई–3, रोड नं0 6, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096 (आधार कार्ड नं0 3383 1424 0205 पैन कार्ड नं0 BOCPS3185K मो0 9540011100) जो कि ट्रस्ट के संस्थापक हैं द्वारा आज दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को घोषित किया गया श्री बलेराम सिहं जिन्होंने जन–जन में शिक्षा के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य कायम कर इस हेतू शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विधिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा व

बलेराम

235

06/10/2020

स्टाम्प विक्रय की तारीख
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता — मानसी माली [illegible] [illegible] - रोजा जलील [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 500/-
कोषिका राज स्टाम्प विक्रेता 1112
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 401764

प्रबंधन शिक्षा आदि को बढावा देने हेतू नवयुवकों व नवयुवतियों के प्रशिक्षण व शोध करने हेतू उन्होंने प्रयास किये हैं और उनके परिवार की भी रूचि इस नेक व जनकल्याणकारी कार्य में है, जिसे मूल रूप प्रदान करने हेतू एक न्यास की स्थापना उनके द्वारा निम्नलिखित रूप में की जा रही है। लिहाजा यह **ट्रस्ट डीड** बखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। **ट्रस्ट के नाम 11000/रु0 से अन्य कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है।** प्रारम्भ में ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्ट के उपरोक्त संस्थापक ने ट्रस्ट की नगद धनराशि रूपये 11,000/रु0 (ग्यारह हजार रूपये)दान में आज प्रदान कर दी गयी है।

ट्रस्ट का विवरण:—

1 नाम :

मानशी भाटी फाउन्डेशन, शिक्षा प्रसार ट्रस्ट, ग्राम रोजा जलालपुर पर0तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

बलै 2144

236/235 स्टाम्प विक्रय की तिथि ---- 06/10/2020
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ---- [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ----
स्टाम्प की धनराशि ---- 50/-
[illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible]
[illegible] 22, [illegible] 31-3-2021
[illegible] दादरी (गौ० बु० नगर) [illegible]

आवेदन सं०: 202000742026840

बलेराम

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 2994 | वर्ष: 2020

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

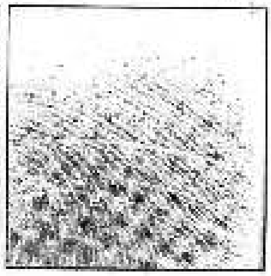

श्री बलेराम सिंह ,
पुत्र श्री हरज्ञान सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ई -3 रोड न0 6 गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 06/10/2020 एवं 01:32:33 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 अस्थाना -
उप निबंधक :दादरी
गौतम बुद्धनगर
06/10/2020

के0के0 शर्मा .
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 401765

2 ट्रस्ट का पंजीकृत मुख्य कार्यालय :

ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी **जिला गौतमबुद्धनगर** में कायम किया गया है व रहेगा तथा भविष्य में यदि ट्रस्ट अपना कार्यालय अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहे तो कर सकता है तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय शाखायें खोलने के लिये भी स्वतन्त्र होगा।

3 ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी :

1 श्री बलेराम सिहं पुत्र श्री हरज्ञान सिंह निवासी ई–3, रोड नं0 6, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096_(अध्यक्ष)

2 श्री हरीशपाल पुत्र श्री ऋषिपाल निवासी बी–59, रोड नं0 5, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096 परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उपाध्यक्ष)

3 श्री नितिन भाटी पुत्र श्री सुन्दर भाटी निवासी ई–3, रोड नं0 6, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096_ (सचिव / प्रबन्धक)

बलेराम

237/285 06/10/2020

आवेदन सं०: 202000742026840

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 2994 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री बलेराम सिंह, पुत्र श्री हरज्ञान सिंह

निवासी: ई -3 रोड न0 6 गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

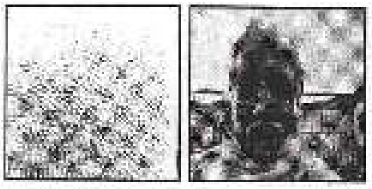

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री पुनीत नागर , पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम तालबपुर उर्फ हाथीपुर तह0 दादरी गौतमबुद्धनगर

व्यवसाय: अन्य

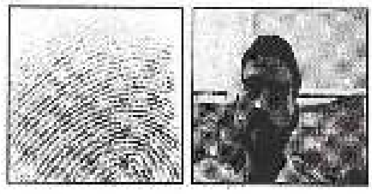

पहचानकर्ता : 2

श्री विकास कुमार , पुत्र श्री रामवीर सिंह

निवासी: मौ0 गौतमपुरी कस्बा दादरी तह0 दादरी गौतमबुद्धनगर

व्यवसाय: अन्य

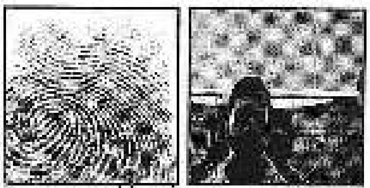

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

पी0 के0 अस्थाना -
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर

के0के0 शर्मा -
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 401766

4 श्रीमती सरला भाटी पत्नी श्री सुन्दर भाटी निवासी ई–3, रोड नं0 6, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096 (कोषाध्यक्ष)

5 श्रीमती निक्की पत्नी श्री हरीशपाल निवासी बी–59, रोड नं0 5, गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली 110096 परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (संस्थापक सदस्य) (सह सचिव)

4 **ट्रस्ट के उददेश्य :**

ट्रस्ट निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतू कार्य करेगा :–

1 प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा (इंजिनियरिंग आदि) कम्पयूटर शिक्षा (बी0सी0ए0, एन0सी0ए0, आदि) प्रबंधन शिक्षा (एम0बी0ए0 आदि) चिकित्सा शिक्षा (मैडिकल, डेन्टल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, फार्मेसी, पैरामैडिकल आदि) फाईन आर्टस, रिसर्च सैन्टर, वॉकेशनल कॉर्सिस, विधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, शौध शिक्षा, बी0एड0 एम0एड0 आदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना व विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, रख रखाव करना, संचालन करना आदि।

2 स्वास्थ्य रक्षा हेतू अस्पताल, नर्सिंग होम, चल चिकित्सालय तथा दवा वितरण आदि करना एवं जनहित में स्वास्थ्य शिविर व जनकल्याणकारी कार्य करना व उनका संचालन करना।

खचेराम

06/10/2020

[illegible] 238/235 [illegible] की [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]-22, [illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 401767

3 **उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतू जमीन, भूमि का क्रय करना, लीज व किराये पर लेना, अभिग्रहित करना और उस पर निर्माण करना।**

4 उपरोक्त संस्थानों की स्थापना हेतू आवश्यक उपकरण सामग्री संयन्त्र अथवा अन्य पेरीफिरल्स इत्यादि को क्रय करना तथा स्थापित करना।

5 जनहित में पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना तथा पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा आध्यात्मिक केन्द्रों का संचालन करना।

6 छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावास/ बोर्डिंग हाउस को स्थापित करना तथा संचालित करना।

7 सार्वजनिक हित में बालक– बालिकाओं, युवक–युवतियों के सर्वोन्मुखी विकास हेतू सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर संगोष्ठी आदि का आयोजन करना।

8 सरकारी अर्द्धसरकारी व निजी संस्थानों तथा व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त करना तथा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना व उपरोक्त उददेश्यों के लिये संस्थान की सम्पत्ति को गिरवी रखना अथवा प्लेज करना।

9 ट्रस्ट के संचालन हेतू दान आदि के अलावा अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों, धर्मशालाओं व लघु उद्योगों विशेष कर महिला उद्योगों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

10 शिक्षा प्रदान कर प्रदूषण रहित एवं भ्रष्टाचार रहित सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करना।

11 ट्रस्ट के उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतू एवं सुचारू रूप से संचालन हेतू अन्य कोई भी कार्य करना।

12 समान उददेश्यों वाली संस्थाओं से सहायता का आदान– प्रदान करना व उनको समाहित करना।

बलैराम

06/10/2020

क्रमांक 238/225 स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प का मूल्य और प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि ---- 50/-

ऑथोराइज्ड [illegible] स्टाम्प वेण्डर

लाइसेन्स नं.-22, वैध की अवधि-31-3-20[illegible]

[illegible] बादली [illegible]

[illegible] - 124[illegible]

13 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतू अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, पटटे पर प्राप्त करना एवं किराये पर प्राप्त करना।

14 ट्रस्टीज की सहमति से ट्रस्ट से सम्बन्धित सम्पत्तियों को विक्रय करना, लीज पर देना, किराये पर देना आदि।

15 मानव कल्याण एवं जनहित हेतू अन्य लोकोपयोगी कार्य करना।

16 पर्यावरण संरक्षण, विकलांग कल्याण, दलितोत्थान व निर्धन लोगो के उत्थान के लिये कार्य करना।

5 पदाधिकारियों का चयन:

ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री बलेराम सिंह अपनी इच्छा से पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टीयों में से अथवा अपने सगे संबंधियों में से ही करेंगे।

6 पदाधिकारियों को अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष:

1 प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष को समिति की बैठक में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

2 समिति के निर्णयों में किसी विषय पर सम्मति के समान हो जानें पर एक अधिकार मत देकर निर्णय करना।

3 ट्रस्ट के कार्यो का निरीक्षण करना तथा ट्रस्ट के नियमों का सुचारू रूप से पालन करने की व्यवस्था करना।।

4 ट्रस्ट की सम्पत्तियों तथा कोषों की देखभाल करना।

बलेराम

उपाध्यक्षः

1 अध्यक्ष के कार्य में सहायता प्रदान करना।
2 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य सम्पादित करना।

सचिव / प्रबन्धकः

1 ट्रस्ट के कार्यो का संचालन करना।
2 ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालायों आदि के कर्मचारी / अधिकारियों की नियुक्ति, पृथक करना, त्याग पत्र, ग्रेड, वेतन वृद्धि इत्यादि की स्वीकृति हेतू समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
3 विगत वर्ष के वित्तीय खातों तथा आगामी वर्ष के बजट को स्वीकृत कराने के लिये समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।
4 समिति द्वारा अनुमोदित व्ययों की उचित रूप से व्यय करने की व्यवस्था करना।
5 ट्रस्ट की ओर से आवश्यक पत्र व्यवहार अपने निरीक्षण में तथा अपने हस्ताक्षरों से करना तथा संस्था की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही अथवा नालिश कराना, बयान तहरीर आदि दाखिल करना आदि।

कालेराम

उत्तर प्रदेश

6 आवश्यकतानुसार समय–समय पर ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों की उन्नति के लिये अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों अन्य शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों व अन्य जन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना।

7 ट्रस्ट के कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

8 बाह्य व्यक्तियों से ट्रस्ट के लिये कोई अनुबन्ध अथवा कोई कार्य करने की दशा में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना।

<u>कोषाध्यक्षः</u>

1 ट्रस्ट के कोषों की उचित देखभाल करना तथा ट्रस्ट के वित्तीय खातों को तैयार करवाने का कार्य कोषाध्यक्ष द्वारा ही किया जायेगा।

2 ट्रस्ट के कोष को बैंक अथवा बैंक या अन्य लाभकारी स्थानों पर निवेश कराना तथा अपने निरीक्षण में हिसाब की व्यवस्था करना।

3 ट्रस्ट के कार्यों की मासिक प्रगति व आय–व्यय के वितरण से समिति को परिचित कराना एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना।

4 ट्रस्टीज की सहमति से चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसका हिसाब रखना।

सत्यमेव जयते

<u>सहसचिवः</u>

1 सहसचिव का कार्य सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य करना।

2 प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

कार्यकारिणी सदस्य :

कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेना, अपनी राय देना, मतदान करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना।

7 **<u>प्रबन्ध कारिणी समितिः</u>**

1 ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या 11 से अधिक नहीं हो सकती है। यह ट्रस्ट मण्डल कहलायेगा। जो कि प्रबन्ध कार्य कारिणी समिति के नाम से जानी जायेगी।

2 ट्रस्टियों द्वारा आगामी बैठकों में कार्य समिति बनाने का दायित्व होगा।

3 यह कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों उपाध्यक्ष सचिव/प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष व सहसचिव होंगे जिनका कार्यकाल **3 साल** का होगा। जिनकी नियुक्ति बहुमत राय से की जायेगी। ट्रस्ट के संस्थापक **श्री <u>बलेराम सिह</u>** **अध्यक्ष व संस्थापक सदस्य** आजीवन ही रहेंगी बाद में इनके वारिसान ट्रस्टि/ संस्थापक होंगे।

बलेराम

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

8 बैठक ट्रस्ट, सूचना एवं गणपूर्ति :

1 ट्रस्ट की सामान्य बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होगी इस सामान्य बैठक के लिये 15 दिन का नोटिस अध्यक्ष या सचिव/प्रबन्धक द्वारा दिया जायेगा जिसमें विशेष बैठक 24 घण्टे के नोटिस पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

2 ट्रस्ट के बैठक एवं उनका संचालन व्यवस्था में नियम बनाना, उसमें परिवर्तन व संशोधन एवं अधिकार व कर्तव्यों आदि के सम्बन्ध में 2/3 के सदस्यों के द्वारा होगा एवं प्रत्येक कार्यवाही 2/3 से ही पूर्ण समझी जायेगी।

3 गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या 1/3 सस्यों की उपस्थिति कोरम होगी।

9 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति :

1 यह कि किसी भी ट्रस्टी के पागल हो जानें, दिवालिया हो जानें, मृत्यु हो जानें, त्याग पत्र देने की स्थिति में, ट्रस्ट की लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहने अथवा ट्रस्ट के उददेश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उस ट्रस्टी को बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा।

10 रिक्त स्थान की पूर्ति :

1 यदि समिति के किसी सदस्य का स्थान उपरोक्त किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर उस रिक्त स्थान की पूर्ति उपरोक्त ट्रस्टीज के परिवार के सदस्यों से अथवा सगे संबंधियों से आगामी नई नियुक्ति संस्थापक के द्वारा कर ली जायेगी एवं इस नियुक्ति की पुष्टि बैठक में कराना अनिवार्य होगा।

बलीराम

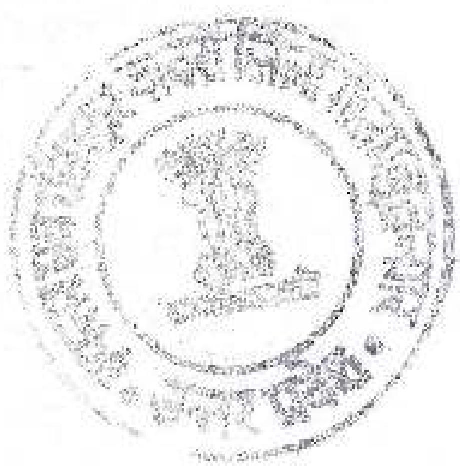

11 ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष :

1 ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक चलेगा। ट्रस्ट के सुचारू संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना एवं विभिन्न समितियों का गठन करना। ट्रस्ट का कार्य वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार रहेगा।

12 ट्रस्ट के बैंक खाते :

1 ट्रस्ट के बैंक खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा शेडयूल्ड बैंक में ही खुलेंगे। ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष तथा सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही होगा।

13 लेखा परीक्षण :

1 ट्रस्ट का लेखा परीक्षण किसी लेखा जानकार द्वारा प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर (यानि कि एक अप्रैल से 31 मार्च) कराया जायेगा।

14 पदाधिकारियों के अतिरिक्त अधिकार :

1 ट्रस्ट के लिये किसी भी धन या अचल सम्पत्ति को अर्जित के सामान्य करना उसको संभाल कर ट्रस्ट को सौंपना। इसी प्रकार ट्रस्ट की सम्पत्तियों का उचित रख–रखाव संरक्षण करना।

2 यह कि ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा उचित रूप से अन्तरण करना।

3 ट्रस्ट के विभिन्न स्त्रोत्रों से विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं सरकारी, गैरसरकारी से सहयोग लेना चल अचल सम्पत्ति की भेंट व दान प्राप्त करना।

4 इस ट्रस्ट के उददेश्यों के लिये किसी एक या अनेकों संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना।

5 ट्रस्ट के विभिन्न अधिकारियों सेवकों आदि की नियुक्ति करना, नियुक्तियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तों आदि को तय करना।

15 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु धन व सम्पत्ति :

1 भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा दान में दी गई मिल्कियत, चल अचल सम्पत्ति धनराशि जैसा भी हो ट्रस्ट में निहित होगी।

2 ऐसी मिल्कियत, चल अचल सम्पत्ति, धनराशि जो ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ट्रस्ट को दान में दी जायवेगी वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।

3 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु जो भी चल अचल सम्पत्ति व भेंट सहायता धनराशि प्रकट या गुप्त या अनामरूप से ट्रस्ट को प्राप्त होगी वह ट्रस्ट को प्राप्त होगी। वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।

4 ट्रस्ट की सभी प्रकार की सम्पत्तियों व अधिकारों से जो भी आय होगी वह ट्रस्ट में निहित होगी।

बलेराम

5 न्यास के किसी भी सदस्य को ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर या ट्रस्ट के कार्यो में रूचि न लेने पर उसकी बैठक में भाग न लेने पर बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा।

16 कानूनी कार्यवाही:

ट्रस्ट के द्वारा अथवा ट्रस्ट के ऊपर कोई भी वैद्यानिक कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष/ सचिव के नाम से न्यायालय जिला गौतमबुद्धनगर में ही सम्पन्न होगी। अन्यत्र कहीं पर भी मान्य नहीं होगी।

17: यह कि अध्यक्ष किसी भी समय ट्रस्टियों की सहमति से इस ट्रस्ट को भंग कर सकते है। यदि किसी दशा में ट्रस्टि उनके द्वारा ट्रस्ट भंग की कार्यवाही से सहमत नहीं होते हैं उस दशा में भी उनको ट्रस्ट भंग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

18 अध्यक्ष व सचिव/ प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष का पद अवैतनिक रहेगा तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वैतनिक किया जा सकेगा, तथा कार्य अधिकता को द्रष्टिगत समझते हुए भविष्य में उपसचिव/ उपप्रबन्धक अथवा अन्य पदों का सृजन कर पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। ट्रस्ट/ न्यास के अध्यक्ष नियमागत व्यवस्था के आधार पर व्यय करेंगे।

कालेराम

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 401768

अतः यह ट्रस्ट का घोषणा पत्र हमने अपने स्वस्थ चित्त एवं खूब सोच समझकर ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा लिख दिया गया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे इति।

गवाह– पुनीत नागर पुत्र श्री बिजेन्द्र सिह नि0 ग्राम तालबपुर उर्फ हाथीपुर तह0 दादरी गौतमबुद्धनगर।

गवाह– विकास कुमार पुत्र स्व0 श्री रामवीर सिह नि0 मौ0 गौतमपुरी कस्बा दादरी तह0 दादरी गौतमबुद्धनगर।

दिनांक– 06/10/2020 मसौदाकर्ता– विकास नागर एडवोकेट तहसील दादरी गौतमबुद्धनगर।

VIKASH NAGAR
ADVOCATE
TEHSIL DADRI (G.B. NAGAR)

06/10/2020

आवेदन सं०: 202000742026840

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 380 के पृष्ठ 177 से 206 तक क्रमांक 2994 पर दिनाँक 06/10/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 अस्थाना -
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
06/10/2020